**संशोधन**

**संख्याः-14/2021/133/अडतीस-9-2021-500(39)/2013टी0सी0-1**

**प्रेषक,**

**के0 रविन्द्र नायक,**
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**समस्त मुख्य विकास अधिकारी**,
उत्तर प्रदेश।

**ग्राम्य विकास अनुभाग-9** **लखनऊ : दिनांक 20 अप्रैल, 2021**

**विषयः-**विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यो हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः-10/2021/133/अडतीस-9-2021-02(बजट)/2018टी0सी0, दिनांक-12.04.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

**2-** उक्त् के सम्बन्ध में परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद-कानपुर देहात अन्तर्गत् विधान सभा क्षेत्र-207 सिकन्दरा रिक्त दर्शाते हुए धन आवंटन नही किया गया है, जबकि विधान सभा क्षेत्र-207 सिकन्दरा रिक्त नही है। वर्तमान में श्री अजीत सिंह पाल, उक्त् विधान सभा क्षेत्र के मा0 सदस्य है जो वर्तमान में उ0प्र0 सरकार में इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रद्योगिकी विभाग उ0प्र0 के मा0 राज्य मंत्री है। अत: विधान सभा क्षेत्र-207 सिकन्दरा हेतु प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

**3-** इसी प्रकार परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, रामपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र-34 स्वार के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है, जबकि उक्त विधान सभा क्षेत्र रिक्त है। अत: प्रथम किश्त की उक्त धनराशि को अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी स्वीकृति को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

**4-** उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश संख्या-10/2021/133/अड़तीस-9-2021-02(बजट)/2018टी0सी0, दिनांक-12.04.2021 के प्रस्तर-6 में उल्लेख है कि विधान सभा क्षेत्र-207 सिकन्दरा रिक्त है तथा उक्त के दृष्टिगत उक्त शासनादेश के साथ संलग्न सूची-अ में विधान सभा क्षेत्र-207 सिकन्दरा के सामने अवमुक्त धनराशि रू0 00.00 दर्शायी गयी है तथा उक्त संलग्न सूची-अ में जनपद-रामपुर की विधान सभा क्षेत्र-34 स्वार हेतु रू0 150.00 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी है। परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कानपुर देहात एवं परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, रामपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के दृष्टिगत विधान सभा क्षेत्र-207 सिकन्दरा हेतु धनराशि रू0 150.00 लाख अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान जाती है तथा जनपद-रामपुर के विधान सभा क्षेत्र 34-स्वार हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 150.00 लाख की स्वीकृति निरस्त की जाती है।

**-2/**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**5-** तद्नुसार उपर्युक्त शासनादेश संख्या-10/2021/133/अडतीस-9-2021-02(बजट)/2018टी0सी0, दिनांक-12.04.2021 एवं उसके साथ संलग्न सूची-अ इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश के शेष प्रस्तर यथावत रहेंगे।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय

**के0 रविन्द्र नायक**
प्रमुख सचिव।

**संख्याः-14**/2021**/133(1)/अड़तीस-9-2021, तददिनॉक।**

**प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
5- प्रमुख सचिव**,** संसदीय कार्य विभाग उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव**,** विधान सभा/विधान परिषद**,** उत्तर प्रदेश ।
7- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 सभापति विधान परिषद, उ0प्र0।
9- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
12- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
13- समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
14- समस्त कोषाधिकारी उ0प्र0।
15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
16- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,

**अवधेश कुमार तिवारी**
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in